जारी 19/9/18

जारी 20/9/18

संख्या–408/VI-2/2018–52(08)14

प्रेषक,

अतर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल,
उत्तराखण्ड।

युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अनुभाग **देहरादून दिनांक : 20 सितम्बर, 2018**

विषय :– **विभागीय आवासीय भवनों के रख–रखाव/निर्माण कार्य हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र संख्या–731/दो–लेखा–3164/2018–19 दिनांक 17.07.2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभागीय आवासीय भवनों के रख–रखाव/निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था के द्वारा प्रस्तुत आगणन की टी०ए०सी० द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत **₹ 72.67 लाख** के सापेक्ष शासनादेश संख्या–22/VI-2/2015–52(08)14 दिनांक 09.01.15 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्रथम किश्त के रूप में रू0 25.00 लाख, शासनादेश संख्या–209/VI-2/2015–51(22)13 दिनांक 30.03.15 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 में ही द्वितीय किश्त के रूप में रू0 45.01 लाख, वित्तीय वर्ष 2016–17 में शासनादेश संख्या–542/VI-2/2016–52(08)14 दिनांक 21.09.2016 के द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू0 1.00 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2017–18 में शासनादेश संख्या–253/VI-2/2017–52(08)14 दिनांक 23.08.2017 के द्वारा चतुर्थ किश्त के रूप में रू0 1.00 लाख उपलब्ध करा दिये जाने के उपरान्त चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में अन्तिम किश्त के रूप में उपरोक्त निर्माण कार्य हेतु **रू0 66.00 हजार (रूपये छियासठ हजार मात्र)** की धनराशि को व्यय किये जाने हेतु निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

2. उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जा रही है कि उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0–318/XXVII(1)/2014 दिनांक 18 मार्च, 2014 एवं शासनादेश संख्या–400/XXVII(1)/2015 दिनांक 01 अप्रैल, 2015, शासनादेश संख्या–490/XXVII(1)/2016 दिनांक 31 मार्च, 2016, शासनादेश संख्या–312/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 31 मार्च, 2017, शासनादेश संख्या–610/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 तथा शासनादेश संख्या–519/3(150)–2017/XXVII(1)/2018 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 में निहित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुवल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए।

4. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि मदवार स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

5. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाए।

6. विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

7. स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही किया जा सकता है तथा इससे पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाए।

8. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या–2047 / XIV–219(2006) दिनांक 30–5–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

9. अधिप्राप्ति कार्यो हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

10. कार्य करते समय टेण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि टेण्डर करने में कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष में जमा कर दिया जाय।

11. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे तथा विलम्ब के कारण आगणन किसी भी दशा में पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता परीक्षण नियोजन विभाग द्वारा चयनित संस्था से कराये जाने हेतु प्रस्ताव समयान्तर्गत नियोजन विभाग को प्रेषित करते हुए समयबद्ध कार्यवाही की जायेगी।

12. उक्त कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्त विभाग के शासनादेश सं0–474 / XXVII(7) / 2008 दि0–15–12–08 तथा नियोजन विभाग के शासनादेश सं0–93 / XXVI / छ:(2) / 2009 दिनांक 06.04.16 में विहित शर्तो के अनुसार कार्यदायी संस्था से निर्धारित प्रपत्र पर एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित करा लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

13. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–03–खेलकूद तथा युवक सेवा–102–खेलकूद स्टेडियम–21–आवासीय भवनों का रख–रखाव / निर्माण कार्य–00–24–वृहत् निर्माण कार्य मानक मद के मतदेय पक्ष के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव

पृष्ठांकन संख्या 408 / VI-2 / 2018–52(8)14 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओबराय बिल्डिंग, देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3. निजी सचिव, मा0 युवा कल्याण मंत्री जी, उत्तराखण्ड को मा. मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव